भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5561
04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीपीएल कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता

†5561. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कैंसर रोगी निधि के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है; और
(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित रोगियों की संख्या कितनी है तथा पिछले पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्षवार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी राशि वितरित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अम्ब्रेला योजना के स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) घटक के तहत, कैंसर से पीड़ित गरीब (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) रोगियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आरसीसी)/विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी), राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और कैंसर उपचार सुविधाओं वाले अन्य सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में रोगियों के इलाज के लिए प्रदान की जाती है।

(ख): मरीज़ आरएएन की अम्ब्रेला योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मरीज़ों द्वारा किसी भी सरकारी अस्पताल के माध्यम से ऑफ़लाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के आईटी प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत नहीं हुआ है। एनएचए के आईटी प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, सरकारी अस्पताल द्वारा पात्र मरीज़ की आरएएन आईडी बनाई जाती है और उसके बाद, आवेदन को ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) के माध्यम से आगे संसाधित किया जाता है। अनुमोदन के पश्चात, मरीज़ के लिए निधि आरक्षित करने के लिए बैंक को पुष्टि भेजी जाती है और उपचार आरंभ हो जाता है।

(ग): पात्र रोगियों के लिए वित्तीय सहायता उपचार करने वाले अस्पतालों/संस्थानों को जारी की जाती है। आरएएन की अम्ब्रेला योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का आवंटन नहीं है। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एचएमसीपीएफ के एक घटक वाली आरएएन की अम्ब्रेला योजना के तहत लाभान्वित रोगियों की संख्या और वितरित राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	वितरित राशि (करोड़ रु. में)	लाभार्थी
2019-20	66.21	1159
2020-21	44.37	419
2021-22	22.86	332
2022-23	53.88	572
2023-24	14.36	568
2024-25	27.06	514

*****